संयुक्त प्रान्त अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1944

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3, 1944)

THE UNITED PROVINCES FIRE SERVICES ACT, 1944

(U.P. Act No. III of 1944)

संयुक्त प्रान्त अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1944[1]

[संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 3, 1944]

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1953

द्वारा संशोधित

[एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा अनुकूलित तथा परिष्कृत]

[गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 की धारा 93 के अधीन दिनांक 3 नवम्बर, 1939 को जारी की गयी उद्घोषण द्वारा ग्रहण की गयी शक्तियों का प्रयोग करके संयुक्त प्राप्त के महामहिम गर्वनर द्वारा तैयार किया गया।

संयुक्त प्रान्त के गर्वनर ने 26 जुलाई, 1944 को स्वीकृति प्रदान की तथा संयुक्त प्रान्तीय गजट में दिनांक 29 जुलाई, 1944 को प्रकाशित हुआ।]

संयुक्त प्रान्त में प्रान्तीय अग्निशमन सेवा संघटित करने के लिए

अधिनियम

प्रस्ताव

यह इष्टकर है कि इस प्रान्त के कतिपय नगरों में अग्निशमन की व्यवस्था का सुधार किया जाय और विशिष्टतः उन नगरों में अग्निशामक दल के लिये कर्मचारिवृन्द की व्यवस्था करने तथा उसका प्रचालन करने के लिये एक प्रान्तीय अग्निशमन सेवा संघटित की जाय तथा बनाए रखी जाय ;

और गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 की धारा 93 के अधीन दिनांक 3 नवम्बर, 1939 को प्रख्यापित उद्घोषणा द्वारा संयुक्त प्रान्त के गवर्नर ने पूर्वोक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रान्तीय विधान मण्डल में निहित समस्त शक्तियों को स्वयं ग्रहण कर लिया है ;

और उक्त उद्घोषणा अब भी प्रवृत्त है ;

अतः अब, गवर्नर पूर्वोक्त शक्तियों का प्रयोग करके निम्नलिखित अधिनियम बनाते है ;

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम संयुक्त प्रान्त अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1944 कहलायेगा।

2–(1) इसका [2][विस्तार] संपूर्ण [3][उत्तर प्रदेश] में होगा ।

---

1. यह अधिनियम गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 ई0 की धारा 93 के अधीन दिनांक 3 नवम्बर, 1939 ई0 को जारी की गयी उद्घोषणा द्वारा ग्रहण की गयी शक्तियों का प्रयोग करके गवर्नर द्वारा तैयार किया गया था और उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण सहित गजट, 1944, भाग 7 में पृष्ठ 15–16 पर प्रकाशित हुआ था । यह यू0 पी0 ऐक्ट संख्या 13, 1948 ई0 की धारा 2 तथा अनुसूची द्वारा पुनः अधिनियमित हुआ और बना रहा ।

2. यह अधिनियम बनारस (एप्लीकेशन आफ लाज) आर्डर, 1949 ई0, रामपुर (एप्लीकेशन आफ लाज) ऐक्ट, 1950 तथा टेहरी–गढ़वाल (एप्लीकेशन आफ लाज) आर्डर, 1949 द्वारा बनारस, रामपुर तथा टेहरी–गढ़वाल के विलीन राज्यों के लिए प्रसारित किया गया ।

3. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 द्वारा (यूनाइडेट प्राविन्सेज) के लिए प्रतिस्थापित ।

(2) यह आगरा, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर तथा लखनऊ नगरों में ऐसी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर तुरन्त [1][प्रवृत्त] होगा, जो राज्य सरकार समय–समय पर सरकारी गजट में अधिसूचित करे और [2][राज्य सरकार] सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि यह [3][राज्य] के किसी अन्य भाग में ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय ।

परिभाषा

3–जब तक विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस अधिनियम में,––

"पुलिस महानिरीक्षक" "पुलिस अधीक्षक"	. .	के वे ही अर्थ होंगे, जो पुलिस ऐक्ट, 1861 में उनके लिये दिये है ;
"स्थानीय प्राधिकरी"	. .	के अन्तर्गत नगरपालिका बोर्ड, नोटीफाइड एरिया कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी हैं, किन्तु इसके अन्तर्गत छावनी बोर्ड नहीं है ;
"विहित"	. .	का तात्पर्य इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है ;
"राज्य सरकार"	. .	का तात्पर्य [4][उत्तर प्रदेश] सरकार से है ।

सेवा का नाम

4–उन नगरों में जिनमें यह अधिनियम तत्समय लागू हों, आग बुझाने वाले समस्त कर्मचारी इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये एक दल समझे जायेंगे, जिसका अभिनाम "संयुक्त प्रान्त अग्निशमन सेवा" होगा, और उसमें ज्येष्ठता के क्रम से निम्नलिखित पंक्तियां होगी ;

(1) [5][मुख्य अग्निशमन अधिकारी,]

---

1. निम्नलिखित सारणी इस अधिनियम की धारा 2 (2) के अंर्तगत विज्ञप्तियों का प्रभाव प्रदर्शित करेगी ;

जिलों के नाम जहां प्रभावी है	अधिनियम की धाराएं	विज्ञप्ति की संख्या जिसके अन्तर्गत प्रभावी है	तिथि जब प्रभावी है
1–आगरा, बनारस और लखनऊ के 10 मील अर्धव्यास में	धारा 2 (2)	संख्या 1503–जेड/8– 1008–44, दिनांक 4 अप्रैल, 1945 भाग 1 पृष्ठ 103.	7 अप्रैल, 1945
2–इलाहाबाद और कानपुर नगर के प्रत्येक ऐसे क्षेत्रों के छावनी क्षेत्रों को छोड़कर प्रत्येक नगर के जनरल पोस्ट अफिस से 11 मील अर्द्ध व्यास के क्षेत्र तक तथा कानपुर की दशा मे गंगा नदी के उत्तर का क्षेत्र भी	तदैव	तदैव	तदैव
3–आगरा, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर और लखनऊ नगरी के छावनी क्षेत्र	तदैव	विज्ञप्ति संख्या 897–जेड /8–1008–44, दिनांक 28 अगस्त 1965 भाग 1 पृष्ठ 267	1 सितम्बर, 1945

2. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 ई0 द्वारा (दि यूनाइटेड प्रान्विसेज) के लिए प्रतिस्थापित ।
3. उपयुर्क्त द्वारा (प्राविन्शियल) के लिए प्रतिस्थापित।
4. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 ई0 द्वारा (दि यूनाइटेड प्रान्विसेज) के लिए प्रतिस्थापित ।
5. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1953 ई0 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।

(2) अग्निशमन केन्द्राधिकारी,

(3) द्वितीय अग्निशमन केन्द्राधिकारी,

(4) प्रधान फायरमैन तथा [1][ड्राइवर, और]

(5) फायरमैन ।

अधीक्षण, शक्तियां और कृत्य

[2]**[5-(1)**–संयुक्त प्रान्त अग्निशमन सेवा का अधीक्षण और नियंत्रण पुलिस महानिरीक्षक में, और पुलिस महानिरीक्षक के सामान्य नियंत्रण के अधीन रहते हुए, जिला पुलिस अधीक्षक की अधिकारिता के भीतर, उसमें, निहित होगा ।

(2) राज्य सरकार पुलिस महानिरीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक को उनके कर्तव्यों का पालन करने में सहायता देने के लिये ऐसे अधिकारी नियुक्त कर सकेगी, जिन्हें वह ठीक समझे।

(3) उपधारा (1) तथा (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन केन्द्राधिकारी तथा द्वितीय अग्निशमन केन्द्राधिकरी, ऐसी प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग और ऐसे प्रशासनिक कृत्यों का निर्वहन करेंगे, जिन्हें विहित किया जाय।][2]

अग्निशमन सेवा के सदस्यों को प्रमाण–पत्र

6–अग्निशमन सेवा के प्रत्येक सदस्य की नियुक्ति होने पर, उसे इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची में विहित प्रपत्र में एक प्रमाण–पत्र मिलेगा जिस पर पुलिस महानिरीक्षक की या ऐसे अन्य अधिकारी की जिसे वह प्राधिकृत करे, मुद्रा लगी होगी और उसके आधार पर ऐसे प्रमाण–पत्र के धारक व्यक्ति के संबंध में यह समझा जायगा कि उसमें संयुक्त प्रान्त अग्निशमन सेवा के सदस्य की शक्तियां, कृत्य और विशेषाधिकार निहित है। जब कभी उसमें नामित व्यक्ति किसी कारणवश संयुक्त प्रान्त अग्निशमन सेवा का सदस्य न रह जाए तो ऐसा प्रमाण–पत्र प्रभावी हो जायेगा, और उसके ऐसे सदस्य न रह जाने पर वह उसे तुरन्त किसी ऐसे अधिकारी को समर्पित कर देगा जो प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिये सशक्त हो ।

संयुक्त प्रान्त अग्निशमन सेवा के किसी सदस्य में निहित शक्तियां, कृत्य और विशेषाधिकार निलम्बन की किसी अवधि में प्रास्थगित रहेंगे, किन्तु वह उन्हीं उत्तरदायित्वों, अनुशासन और शास्तियों तथा उन्हीं प्राधिकारियों के ऐसे अधीन बना रहेगा मानों वह निलम्बित न हुआ हो ।

अन्य सेवायोजना का वर्जन

7–अग्निशमन सेवा का कोई भी सदस्य इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों से भिन्न किसी भी प्रकार के सेवायोजन में या पद पर तब तक नहीं लगेगा जब तक कि उसे पुलिस महानिरीक्षक द्वारा अभिव्यक्त रूप से ऐसा करने की अनुज्ञा न दी गई हो ।

दण्ड

8–किसी ऐसे अन्य प्रकार के दण्ड के अतिरिक्त जिसके भागी संयुक्त प्रान्त अग्निशमन सेवा के सदस्य तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के अधीन हों, पुलिस महानिरीक्षक या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों में उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, किसी पर्याप्त कारण से, संयुक्त प्रान्त अग्निशमन सेवा के ऐसे सदस्यों को, जिन्हें [3][राज्य सरकार] विहित करे, निम्नलिखित दण्ड दे सकेगा ;

(क) एक माह के वेतन से अनधिक किसी धनराशि तक का जुर्माना ;

(ख) पन्द्रह दिन से अनधिक तक की किसी अवधि के लिये दण्डस्वरूप ड्रिल, अतिरिक्त पहरा, दलेल या अन्य कर्तव्य।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1953 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।

2. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1953 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 ई0 द्वारा (दि यूनाइटेड प्रान्विसेज) के लिए प्रतिस्थापित।

कर्तव्य की अवहेलना और कायरता के लिए शास्ति

9–संयुक्त प्रान्त अग्निशमन सेवा का ऐसा प्रत्येक सदस्य, जो कर्तव्य की किसी प्रकार से अवहेलना करने का या इस अधिनियम अथवा तद्धीन बनाये गयें नियमों के किसी उपबन्ध का या सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गयें किसी आदेश का जानबूझ कर उल्लंघन करने का दोषी होगा या जो कायरता का दोषी होगा या जो अनुज्ञा लिये बिना अथवा दो मास का पूर्व नोटिस दिये बिना अपने पद के कर्तव्यों से विलग हो जायगा या जो छुट्टी पर अनुपस्थित होने की दशा में, छुट्टी समाप्त होने के बाद युक्तियुक्त हेतु के बिना स्वयं कर्तव्य पर वापस न आयेगा या जो अग्निशमन सेवा के अपने कर्तव्य से भिन्न किसी अन्य सेवायोजन में, प्राधिकार के बिना, लगेगा, वह प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने का जो तीन मास के वेतन से अधिक न होगा या कठोर श्रम सहित या रहित ऐसे कारावास का जो तीन मास की अवधि से अधिक का न होगा, या दोनों का, भागी होगा।

अग्निशमन सेवा पर व्यय

10–संयुक्त प्रान्त अग्निशमन सेवा पर होने वाले संपूर्ण व्यय की पूर्ति [1][राज्य सरकार] के राजस्वों से की जायगी, परन्तु [1][राज्य सरकार] नगर के किसी स्थानीय अधिकारी से, उस नगर में अग्निशमन सेवा के व्यय के, संबंध में उतना अभिदाय वसूल कर सकेगी जो वह समय–समय पर निदेशित करे।

स्थानीय प्राधिकारियों की अग्निशामक सम्पत्ति का अर्जन

11–(1) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने पर [1][राज्य सरकार] उन नगरों के भीतर, जिनमें यह अधिनियम तत्समय लागू हो, किसी स्थानीय प्राधिकारी के कब्जे में की संपूर्ण अग्निशामक संपत्ति का मूल्यांकन करायेगी और वह ऐसी संपत्ति को उसी मूल्य पर अपने अधिकार में ले सकेगी।

(2) यदि स्थानीय प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन किये गये मूल्यांकन के संबंध में विवाद करे तो [1][राज्य सरकार] उक्त विवाद को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को निर्दिष्ट कर सकेगी।

(3) मध्यस्थ मूल्यांकन करते समय निम्नलिखित का विचार रखेगा ––

(क) स्थावर सम्पत्ति की दशा में, निर्माण कार्य की मूल लागत तथा पश्चात्वर्ती किसी परिवर्द्धन या परिवर्तन की लागत और जंगम संपत्ति की दशा में, क्रय की मूल लागत; और

(ख) टूट–फूट के कारण होने वाला अवक्षयण ; प्रतिबन्ध यह है कि मध्यस्थ, युद्धकालीन स्थितियों के कारण सामग्री और उपस्कर के बढ़े हुये मूल्य का विचार नहीं रखेगा।

अग्निशमन केन्द्र के अन्तरक का प्रतिषेध

12–किसी ऐसे नगर का जिस पर यह अधिनियम तत्समय लागू हो, कोई स्थानीय प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद, किसी ऐसी स्थावर सम्पत्ति को, जिसे अग्निशमन केन्द्र के रूप में उपयोग में लाया जाता हो या उसके किसी स्थायी फिक्सचर को [1][राज्य सरकार] की पूर्व मंजूरी के बिना न तो अन्तरित करेगा, न अन्यथा अलग करेगा।

यू0 पी0 ऐक्ट संख्या 2, 1916 की धारा 187 तथा 188 का निरसन

13–उन नगरों के संबंध में जिन पर तत्समय यह अधिनियम लागू हो, यू0 पी0 म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारायें 187 तथा 188 निरसित हो जायेंगी :

प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम की कोई बात निम्नलिखित के संबंध में किसी स्थानीय प्राधिकारी के सामान्य उत्तरदायित्व को सीमित, उपान्तरित या अल्पीकृत करने वाली नहीं समझी जायगी ––

(क) अग्निशमन के प्रयोजनों के लिये ऐसी जल–सम्पूर्ति तथा अग्निशामक नलों की व्यवस्था तथा अनुरक्षण करना जैसा कि [1][राज्य सरकार] समय–समय पर निदेश दे,

---

1. एडेप्टेशन आफ लाज आर्डर, 1950 ई0 द्वारा (दि यूनाइटेड प्रान्विसेज) के लिए प्रतिस्थापित ।

(ख) खतरनाक व्यापारों के विनियमन के लिये उप–विधियां बनाना,

(ग) आग लगने पर अपने किसी भी कर्मचारी को सहायता करने का उस दशा में आदेश देना जब आग लगने के स्थल पर उपस्थित संयुक्त प्रान्त अग्निशमन सेवा के किसी ऐसे सदस्य द्वारा जो पंक्ति में फायरमैन या ड्राइवर से ऊपर का हो, युक्तियुक्त रूप से ऐसा करने की अपेक्षा की जाय, और

(घ) सामान्यतया ऐसे उपाय करना जिनसे आग लगने की सम्भावना कम हो जाये या आग को फैलने से रोका जा सके ।

अग्निशमन सेवा द्वारा जल का उपयोग

14–अग्निशमन करने, प्रशिक्षण देने, जल की स्थैतिक टंकियों को भरने या अन्य ऐसे ही प्रयोजनों के लिये संयुक्त प्रान्त अग्निशमन सेवा द्वारा उपभुक्त जल के लिये किसी भी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कोई धनराशि नहीं ली जायगी ।

अग्निग्रहण के लिए अग्निशमन सेवा की और अन्य व्यक्तियों की शक्तियां

15–किसी ऐसे नगर में जिस पर यह अधिनियम लागू हो, आग लगने के अवसर पर संयुक्त प्रान्त अग्निशमन सेवा का कोई सदस्य जो पंक्ति में प्रधान फायरमैन से नीचे का न हो, कोई मैजिस्ट्रेट और कोई पुलिस अधिकारी जो पंक्ति में हेड कांसटेबुल से नीचे का न हो ––

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को हटा सकेगा या हटाने का आदेश दे सकेगा जो अपनी उपस्थिति द्वारा आग बुझाने या जीवन अथवा सम्पत्ति की रक्षा करने की संक्रिया में हस्तक्षेप करता हो या अड़चन डालता हो,

(ख) किसी ऐसे सड़क या रास्ते को बन्द कर सकेगा जिसमें या जिसके निकट आग जल रही हो ;

(ग) आग बुझाने के प्रयोजन से किसी भूगृहादि में उसके स्वामी अथवा अध्यासी की अनुमति के बिना प्रवेश कर सकेगा या हौज या साधित्र के लिये रास्ता बनाने के लिये उनका भेदन करके उनके भीतर या उनसे होकर जा सकेगा या उन्हें गिरा सकेगा अथवा भेदन करवाकर उनके भीतर या उनसे होकर किसी को भेज सकेगा या उन्हें गिरवा सकेगा,

(घ) उस स्थान में या उसके निकट जहां आग लगी हो, जल का दबाव या परिमाण बढ़ाने के लिये मुख्य लाइनों तथा नलों को बन्द करवा सकेगा,

(ङ) जल के किसी उपलब्ध, सार्वजनिक या निजी, स्त्रोत का उपयोग कर सकेगा,

(च) सामान्यतया ऐसे उपाय कर सकेगा जिन्हें वह जीवन या सम्पत्ति की रक्षा के लिये आवश्यक समझे ।

सम्पत्ति के स्वामी का प्रतिकर देने का दायित्व

16–(1) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसकी सम्पत्ति में, अपने द्वारा अथवा अपने अभिकर्ता द्वारा जानबूझ कर या उपेक्षा से किये गये किसी कार्य के कारण आग लगे, किसी भी ऐसे अन्य व्यक्ति को प्रतिकर देने का दायी होगा जिसकी सम्पत्ति को इस अधिनियम की धारा 15 के खण्ड (ग) और (ड़) के अधीन किसी कार्यवाही के कारण जो किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो उसमें उल्लिखित है या ऐसे अधिकारी के प्राधिकार के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा की गई हो, नुकसान पहुंचा हो ।

(2) इस धारा की उपधारा (1) के अधीन समस्त दावे नुकसान पहुंचने के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर जिला मैजिस्ट्रेट को किये जायेंगे । जिला मैजिस्ट्रेट देय प्रतिकर की धनराशि संक्षेपतः अवधारित करेगा और आदेश देगा जिसमें भुगतान किये जाने वाले प्रतिकर की धनराशि तथा उसके दायी व्यक्ति का नाम दिया जायगा, और इस प्रकार दिये गये आदेशों का वही प्रभाव होगा जो किसी सिविल न्यायालय की डीक्री का होता है ।

प्रतिकर देने की राज्य सरकार की शक्ति

17–यदि इस अधिनियम की धारा 16 में विनिर्दिष्ट कारणों से भिन्न किसी कारण से आग लग जाय तो राज्य सरकार स्वविवेक से, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसकी सम्पत्ति को इस अधिनियम की धारा 15 के खण्ड (ग) और (ड़) के अधीन की गयी किसी कार्यवाही के कारण कोई नुकसान पहुंचा हो, राज्य के राजस्व में से प्रतिकर दे सकेगी ।

प्रतिकर के वादों पर निर्बन्धन

18–(1) इस अधिनियम की धारा 17 के अधीन दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में आक्षेप नहीं किया जायगा ।

(2) धारा 16 (2) के अधीन दिये गये किसी आदेश से असन्तुष्ट कोई व्यक्ति, अपना दावा सिद्ध करने के लिये, सक्षम अधिकारिता वाले किसी सिविल न्यायालय में ऐसे आदेश के दिनांक से छः मास के भीतर, वाद संस्थित कर सकेगा । धारा 16 (2) के अधीन दिया गया आदेश ऐसे वाद के परिणाम के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा ।

जानकारी प्राप्त करने की शक्ति

19–(1) पुलिस अधीक्षक या किसी अग्निशमन केन्द्र का प्रभारी अधिकारी किसी भवन या अन्य सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी से उस भवन या अन्य सम्पत्ति के स्वरूप, उपलब्ध जल सम्पूर्ति तथा उस तक पहुंचने के साधन तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानीय परिस्थितियों के संबंध में जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसा स्वामी या अध्यासी उससे अपेक्षित समस्त जानकारी, युक्तियुक्त समय के भीतर देगा ।

(2) यदि इस धारा की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित कोई जानकारी युक्तियुक्त समय के भीतर न दी जाय या, यथास्थिति, पुलिस अधीक्षक अथवा अग्निशमन केन्द्र के प्रभारी अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि दी गई कोई जानकारी सही नहीं है तो उक्त पुलिस अधीक्षक या अग्निशमन केन्द्र का प्रभारी अधिकारी जानकारी प्राप्त करने या उसे सत्यापित करने के प्रयोजन के लिये, स्थायी या अध्यासी को ऐसा नोटिस, जो विहित किया जाय, देने के बाद, किसी ऐसे भूगृहादि या सम्पत्ति में प्रवेश कर सकेगा ।

भूगृहादि की तलाशी लेने की शक्ति

[1]**[19–क**–(1) मुख्य अग्निशमन अधिकारी या पुलिस अधीक्षक द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी भूमि, भू–गृहादि या भवन में यह अवधारित करने के प्रयोजनार्थ कि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसी भूमि, भू–गृहादि तथा भवन में आग से बचाव के लिये अपेक्षित पूर्वोपाय किये गये है या नहीं प्रवेश कर सकेगा तथा उसका निरीक्षण कर सकेगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति, किसी अधिकारी के जो उपधारा (1) के अधीन अपने कर्तव्य के दौरान कार्य कर रहा हो, कार्य में स्वेच्छा से बाधा डालेगा, किसी प्रकार का प्रतिरोध करेगा या अड़चन डालेगा या अन्यथा हस्तक्षेप करेगा, तो वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से जो 500 रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।][1]

परित्राण

20–इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई अथवा की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये किस व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

---

1. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1953 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।

झूठी रिपोर्ट देने के लिए दण्ड

21–कोई व्यक्ति, जो पुलिस अधीक्षक को या किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को या संयुक्त प्रान्त अग्निशमन सेवा के किसी ऐसे सदस्य को जो रिपोर्ट प्राप्त करने के लिये पुलिस अधिक्षक द्वारा प्राधिकृत हो, आग लगने को झूठी रिपोर्ट जानबूझ कर देगा, मैजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर, जुर्माने का, जो 50 रूपये से अधिक न होगा, भागी होगा।

अन्य कार्यो पर अग्निशमन सेवा की सेवायोजित करना

22–किसी प्रथम वर्ग मैजिस्ट्रेट के लिये या किसी ऐसे पुलिस अधिकारी के लिये जो पंक्ति में पुलिस उप–अधीक्षक से नीचे का न हो, यह वैध होगा कि वह संयुक्त प्रान्त अग्निशमन सेवा को ऐसे बचाव, उद्धारण या अन्य कार्य में सेवायोजित करे जो उसके प्रशिक्षण, साधित्रों या उपस्कर के कारण उसके लिये उपयुक्त हो।

अग्निशमन दल का किसी अन्य क्षेत्र की स्थानान्तरण

23–किसी ऐसे नगर का जहां यह अधिनियम तत्समय लागू हो, पुलिस अधीक्षक किसी अन्य क्षेत्र मे आग लगने पर या अन्य आपातिक स्थिति होने पर, नगर के अग्निशमन दल को या उसके किसी भाग को, उस क्षेत्र में भेजने का आदेश दे सकेगा, और आग लगने या आपातिक स्थिति की अवधि के दौरान अथवा ऐसी अवधि के दौरान जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक निदेश दे, इस अधिनियम तथा तदधीन बनाये गये नियमों के समस्त उपबन्ध ऐसे क्षेत्र में लागू समझे जायेंगे।

प्रक्रिया 1898 का अधिनियम सं0 5

24–इस अधिनियम की धारा 9 तथा 21 के अधीन की गयी कार्यवाहियां, यथा संभव, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के उपबन्धों से शासित होंगी और इन धाराओं के अधीन, किये गये अपराध जमानतीय तथा असंज्ञेय होंगे।

नियम बनाने की शक्ति

25–[1][राज्य सरकार] इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा तथा पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहतें हुए, नियम बना सकेगी।

---

1. एडेप्टेशन ऑफ लाज आर्डर, 1950 ई0 द्वारा (प्राविन्शियल गवर्नमेण्ट) के लिए प्रतिस्थापित।

अनुसूची

[धारा 6 देखिये]

क, ख. . . . . को संयुक्त प्रान्त अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1944 के अधीन संयुक्त प्रान्त अग्निशमन सेवा का सदस्य नियुक्त किया गया है और उसमें ऐसे सदस्य की शक्तियां, कृत्य और विशेषाधिकार निहित किये जाते है ।